राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति,
Manner of Election of The President)

राष्ट्रपति का चुनाव ' अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली' द्वारा किया जाता है । अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गयी है ।

The President is elected by 'indirect election system'. The method of election of the President is given in Article 55.

Art. 55 → राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन , (2) गुप्त मतदान (Secret voting)

⇒ पद्धति (Method)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।

Proportional Representative system
Single transferrable vote system.

- राष्ट्रपति का निर्वाचन "आनुपातिक प्रतिनिधित्वपद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा The election of the President shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote system.
- ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा The voting at such election shall be secret

राष्ट्रपति की पदावधि

(Term of Office of The President)

- अनुच्छेद - 56 के अनुसार राष्ट्रपति (पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है।) According to Article 56, the President holds office for a term of five years) from the date on which he assumes office.

Art. 56 → कार्यकाल (Tenure)
↳ 5 वर्ष / year's (पद ग्रहण के दिन से)

- कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। He can submit his resignation to the Vice President at any time.

त्यागपत्र → उपराष्ट्रपति

Q. => क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् भी अपने पद पर रह सकते है? → हाँ

- तब तक अपना पद धारण किये रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी (नया राष्ट्रपति) अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

Ans.

He continues to hold office until his successor (the new President) assumes office.

- राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

 When the President gives his resignation to the Vice President, the Vice President immediately informs the Speaker of the Lok Sabha about it.

Q. ⇒ राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं?

⇓ लोकसभा अध्यक्ष को।

- अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन (Re-election) के लिए योग्य है Article 57 states that a person is eligible for re-election to the office of President

⇒ भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।

⇒ अब तक केवल डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पद को २ बार ग्रहण किया है

⇒ राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद है।

राष्ट्रपति की योग्यतायें

(Qualifications of The President)

अनुच्छेद 58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यतायें विहित की गई हैं— Under Article 58 the following qualifications have been prescribed for the post of President-

योग्यताएं ⇒ Art. 58

1. वह भारत का नागरिक हो । He should be a citizen of India.

2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा He has completed 35 years of age, and

3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । He must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha.

(1) भारत का नागरिक
(2) न्यूनतम आयु (Minimum Age) = 35 years

लेकिन LS का सदस्य न हो।

अधिकतम Maximum → प्रावधान ✗

- भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा। A person holding any office of profit under the Government of India, a State Government or any local authority shall not be eligible for the office of President.

→ लाभ के पद पर न हो। ⟶ सरकारी नौकरी ✗

Do not Hold office of the Profit.

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है । The posts of President, Vice President, Governors of States and Ministers of the Union or States are not considered offices of profit.

- राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। * 1997 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी। A candidate for the presidency must be proposed by at least 50 voters and seconded by 50 voters. * Before 1997, the number was 10-10.

(A) → Proposers = 50 → नाम की प्रस्ताव
प्रस्तावक
Seconders (अनुमोदक) = 50 → Acceptance/स्वीकार करने वाले
MPs/MLAs
Elected

❖ राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15000रु. है। The security deposit for the post of President is Rs 15,000.

15000 रु

deposit
जमा ⇒ RBI

जमानत राशि को बचाने के लिए कुल वैध मतों (total valid) × 1/6 (5000 × 1/6) ✓

Ex. 2500+1
5000 ⇒ 2501

राष्ट्रपति का चुनाव
जीतने के लिए
कुल वैध मतों का 50%+1
total valid votes × 50%+1
5000 × 50%+1 ⇒ 2501 vote

- किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है । If a candidate fails to secure 1/6th of the total valid votes, his security deposit is forfeited.

Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58

Art. 59
Art. 60

- राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जायेगा | The President shall not be a member of any House of Parliament or State Legislature. If he is a member of these before the election, then his seat in that House shall be deemed to be vacant from the date of assuming office.

Art. 59

MP X
MLA X
MLC X

A → MP ✗ राष्ट्रपति → पद ग्रहण

- राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता । (अनुच्छेद - 59) The President cannot hold any other office during his term. (Article - 59)

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

(Oath or Affirmation by the President

अनुच्छेद 60

शपथ (oath) ⇒ राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (chief justice of supreme court) दिलाते हैं।